न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन भू–अभिलेख अधिकारी,पीपाड़ शहरजोधपुर राज०

पीठासीनअधिकारी :–श्री नेमाराम आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :– 126 / 2023

जीसीएमएस नं. :– 2023 / 137

प्रार्थीगण :–

1. ओमाराम पुत्र केवलराम
2. कमा पुत्री केवलराम
3. गीता पत्नि बीमरराम
4. जियाराम पुत्र बीरमराम
5. पपूराम पुत्र केवलराम
6. मुनी पुत्री बीरमराम
7. मोरमी पुत्री केवलराम
8. रूकमा पुत्री केवलराम
9. शोभा पुत्री बीरमराम
10. सेठुड़ी पुत्री बीरमराम
11. सिपड़ी पुत्री केवलराम

जातियान बावरी निवासीगण रियां तहसील पीपाड़ शहर जिला जोधपुर।

बनाम

अप्रार्थीगण :–

1. भागीरथ पुत्र जसाराम
2. श्रवणराम पुत्र जसाराम

जातियान बावरी निवासीगण रियां तहसील पीपाड़ शहर जिला जोधपुर।

3. सहायक अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग पीपाड़ शहर जिला जोधपुर ।
4. भूमिधारी जरिये तहसीलदार पीपाड़ शहर ।

<u>राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 एल.आर. एक्ट</u>

दर्ज तारीख :– 21.06.2023

उपस्थित :

श्री ऋषि टाक अधिवक्ता प्रार्थीगण

तहसीलदार पीपाड़ शहर, सरकारी पैरोकार।

आदेश

दिनांक : 14.08.2025

प्रार्थीगण ने एक राजस्व प्रार्थना पत्र धारा 111, 128 भू. राजस्व अधिनियम 1956 के तहत इस आशय का पेश किया है कि यह है कि ग्राम रियां पटवार क्षेत्र रियां भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र बुचकला तहसील पीपाड शहर जिला जोधपुर की राजस्व सीमा में प्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी, कब्जाशुदा कृषि भूमि खसरा नम्बर 1499 क्षेत्रफल 0.1133 हेक्टेयर किस्म बारानी प्रथम कृषि भूमि स्थित है जिसको आगे प्रार्थनापत्र मे वादग्रस्त आराजी के नाम से सम्बोधित किया जायेगा। सबूत में नकल जमाबंदी सम्वत् 2075 से 2078 की प्रमाणित प्रति संलग्न पेश है। वादग्रस्त आराजी पर प्रार्थीगण का अभिलिखित सहखातेदार काश्तकार की हैसियत से कब्जा काश्त व उपयोग उपभोग बिना किसी रोक टोक के निर्बाध रूप से चला आ रहा है। वादग्रस्त आराजी पर प्रार्थीगण सावणु फसल की बुवाई करते आये है। प्रार्थीगण वादग्रस्त आराजी की सुरक्षा हेतु वादग्रस्त आराजी के चारो तरफ मुटाम कायम करवाकर दिवार / तारबंदी करवाना चाहते है जिस बाबत् प्रार्थीगण ने विधिवत् रूप से तहसील कार्यालय पीपाड शहर के यहां आवेदन कर वादग्रस्त आराजी का माप चौप कर सीमांकन करवा लिया है लेकिन प्रार्थीगण के खेत के उत्तरी तरफ स्थित

उपखण्ड अधिकारी

अप्रार्थीगण तहसील कार्यालय द्वारा किये गये माप चौप को नहीं मान रहे है तथा प्रार्थीगण के खेत की दक्षिण तरफ की माठ को अपनी भूमि बतातें है तथा खुर्द बुर्द करने पर उतारू है इसलिए वादग्रस्त आराजी के मौके पर सीमांकन को लेकर भारी विवाद हैं। प्रार्थीगण के खेत के अन्य माठों को लेकर किसी प्रकार का विवाद नही हैं। वादग्रस्त आराजी का नाप चौप किया जाकर सीमा कायम की जाकर पत्थरगढ़ी / मुण्डागढ़ी करवाई जानी अतिआवश्यक व लाजमी है जिससे भविष्य में कोई विवाद उत्पन्न नही हों। प्रार्थीगण नियमानुसार पत्थरगढ़ी हेतु मुण्डे उपलब्ध करवा देगा एवं मोमीट्रेस नक्शा उपलब्ध करवा देगे एवं नियमानुसार कमिश्नर को फीस अदा कर देगें।

अतः प्रार्थनापत्र मय शपथपत्र पेश कर श्रीमान न्यायालय हाजा से विक्रम निवेदन है कि ग्राम रियां पटवार क्षेत्र रियां भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र बुचकला तहसील पीपाड़ शहर जिला जोधपुर की राजस्व सीमा में प्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी, कब्जाशुदा कृषि भूमि खसरा नम्बर 1499 क्षेत्रफल 0.1133 हेक्टेयर किस्म बारानी प्रथम कृषि भूमि का नाप चौप किया जाकर पत्थरगढी / मुण्डागढ़ी करवाने का तहसीलदार पीपाड़ शहर को आदेशित फरमायें एंव मौके पर अप्रार्थीगण को पत्थरगडी / मुण्डागढी करवायें जाने में किसी प्रकार से बाधा उत्पन्न नहीं करने हेतु पाबंद किया जावे व जरूरत पड़ने पर पुलिस इमदाद के जरिये पत्थरगढी / मुण्डागढ़ी किये जाने के सादर आदेश फरमायें।

प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी तहसीलदार पीपाड़ शहर को नोटिस जारी किया गया । अप्रार्थी सं. 1 से 3 उपस्थित नहीं होने पर उनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी। अप्रार्थी सं. 4 तहसीलदार पीपाड़ शहर ने जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि राजस्व अभिलेख ग्राम रियां के खसरा नम्बर 1499 रकबा 0.1133 को राजस्व रेकर्ड में जमाबन्दी सम्वत् 2075–2078 के खाता सं. 619 में ओमाराम वगैरह खातेदार दर्ज हैं उक्त खातेदारो द्वारा तहसील कार्यालय में खसरा नम्बर 1499 का सीमाकंन हेतु आदेश किया गया जिस पर तहसील कार्यालय द्वारा सीमांकन के आदेश पारित किया गया। प्रार्थीगण को आराजी भूमि की सुरक्षा हेतु पत्थरगढ़ी करवाया जाने का आदेश करने की अनुशंषा हैं।

वकील प्रार्थीगण की बहस सुनी गयी। वकील प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र में दिये गये बिन्दुओ को दोहराते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थीगण के खेत खसरा नम्बर 1499 कुल रकबा 0.1133 हैक्टयर भूमि का पत्थरगढ़ी एवं सीमाज्ञान करवाये जाने का आदेश फरमाये जाने का निवेदन किया हैं।

उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर

हमने बहस वकील प्रार्थीगण सुनी, प्रार्थना पत्र मे उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन करने पर पाया कि वादग्रस्त आराजी के खेत खसरा नम्बर 1499 कुल रकबा 0.1133 हैक्टयर प्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी भूमि हैं। जिसका सीमाज्ञान व पत्थरगढ़ी कराने का पूर्ण अधिकारी हैं। अतः तहसीलदार पीपाड़ शहर को आदेश दिया जाता हैं कि राजस्व ग्राम रियां के खसरा नम्बर 1499 रकबा 0.1133 हैक्टयर किस्म बारानी प्रथम कृषि भूमि की पत्थरगढ़ी एवं सीमाज्ञान कर पालना रिपोर्ट प्रस्तुत करें। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करें।

(नेमा राम)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन भू–अभिलेख अधिकारी,
पीपाड़ शहर

उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर

आदेश आज दिनांक 14.08.2025 को सर–ए–इजलास में सुनाया गया ।

(नेमा राम)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन भू–अभिलेख अधिकारी,
पीपाड़ शहर

उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर